

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] No. 508] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2006/आश्विन 28, 1928

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2006/ASVINA 28, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 656(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिष्ठेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2006 है।
 - (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
- 2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में,—
 - (क) नियम 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित क्रिया जाएगा, अर्थात् :-
 - '(क) ''अप्रत्यक्ष विज्ञापन'' से अभिप्रेत है-
 - (i) अन्य मालों, सेवाओं और आयोजनों के विपणन, अभिवृद्धि या विज्ञापन के लिए किसी तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का उपयोग;
 - (ii) किसी ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क की सहायता से तम्बाकू उत्पादों का विपणन जिसे किसी अन्य माल और सेवा के रूप में जाना जाता है, या उपयोग किया जाता है;
 - (iiii) किन्हीं विशिष्ट तम्बाकू उत्पादों के साथ सहबद्ध किसी विशिष्ट रंग और अभिन्यास और/या उनकी प्रस्तुति का उपयोग; और
 - (iv) तम्बाकू उत्पादों और धूम्रपान दृश्यों का उपयोग जब वह अन्य मालों और सेवाओं के विज्ञापन करते हैं ।
 - (ख) नियम ४ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - 4. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध—(1) किसी भंडारगृह या किसी दुकान, जहां सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए प्रस्थापना की जाती है, के प्रवेश द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड का आकार साठ सेंटीमीटर × पैंतालीस सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा ।

3368 GI/2006

- (2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर किसी भारतीय भाषा में जो लागू हो, निम्नलिखित चेतावनियों में से एक, बोर्ड के शीर्ष किनारे पर प्रमुख रीति से, जिसकी माप बीस सेंटीमीटर × पंद्रह सेंटीमीटर में होगी, अर्थात् :—
 - (i) तम्बाकू से कैंसर होता है, या
 - (ii) तम्बाकू से मौत होती है।
- (3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुखता से प्रदर्शित, सुपाठ्य और सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों में होगी ।
- (4) प्रदर्श बोर्ड पर उपलब्ध तम्बाक उत्पादों के किस्मों की सूची होगी और बोर्ड पर ब्रांड पैकों के चित्र, तम्बाक उत्पादों के ब्रांड या अन्य अभिवृद्धिकारक संदेश या चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। प्रदर्श बोर्ड को किसी भी रीति से पीछे से प्रकाशित या प्रदीप्त नहीं किया जाएगा।
- (5) उस स्थान का मालिक या प्रबंधक जहां सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जाती है, तम्बाकू उत्पादों को ऐसी रीति से प्रदर्शित नहीं करेगा कि अठारह वर्ष से कम के व्यक्तियों को सहज पहुंच को रोकने के लिए सहज रूप से दृश्य होगी।
- (6) फिल्म और टेलीवीजन कार्यक्रमों में कोई व्यष्टि या कोई व्यक्ति या कोई पात्र तम्बाकू उत्पादों या उनका उपयोग करते हुए प्रदर्शित नहीं किया जाएगा ।

परंतु यह उप-नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा—

- (क) ईस अधिसूचना के प्रवृत्त होने से पूर्व निर्मित पुरानी भारतीय फिल्में और टेलीवीजन कार्यक्रम जो सिनेमा हाल या नाट्यशाला में दिखाए जा रहे हैं या टेलीवीजन पर प्रसारित किए जा रहे हैं;
- (ख) पुरानी विदेशी फिल्में और पुराने टेलीवीजन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत डब की गई या उपनाम वाली ''विदेशी फिल्में'' और टेलीवीजन कार्यक्रम भी हैं, को सिनेमा हालों या नाट्यशालाओं में दिखाया जा रहा है या टेलीवीजन पर प्रसारित किया जा रहा है;
- (ग) भारतीय या विदेशी वृत्तचित्र और स्वास्थ्य कार्यक्रमों जिनमें तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को संप्रदर्शित किया जा रहा है जिसमें तम्बाकू उपयोग के खतरों और भीषण परिणाम स्पष्ट रूप से और असंदिग्ध रूप से प्रतिबिंबित होते हों, को सिनेमा-हालों या नाट्यशालाओं में दिखाया जा रहा है या टेलीवीजन पर प्रसारित किया जा रहा है;
- (घ) समाचार, समायिक क्रियाकलाप, साक्षात्कार, सार्वजनिक सभाए, खेल-कूद कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण जो टेलीवीजन पर प्रसारित की जा रही है जिसमें तम्बाकू उत्पादों के उपयोग का शुद्धता आनुषिंगक और पूर्णत: आशयरहित प्रसारण होता है :

परंतु यह और कि उपर्युक्त खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), और खंड (घ) के अधीन छूट को किसी भी रूप में तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड या तम्बाकू उत्पाद के स्थापन के संप्रदर्शन में विस्तारित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि सिगरेट पैकेजों या तम्बाकू उत्पादों के निकट दृश्य अनुज्ञेय नहीं होंगे और ऐसे दृश्य सिनेमा या नाट्यशाला में दिखाए जाने या टेलीवीजन पर प्रसारण से पूर्व निर्माता या वितरक या प्रसारणकर्ता द्वारा संपादित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण (1) इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली सभी फिल्मों को ''पुरानी फिल्मों'' की श्रेणी में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण (2) इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, ''विदेशी फिल्म'' का अभिप्राय ''आयातित'' से होगा जैसा कि चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में परिभाषित किया गया है ।

(6क) पुरानी भारतीय और विदेशी फिल्मों की दशा में सिनेमा हाल या नाट्यशाला जहां फिल्म प्रदर्शित की जा रही है, का मालिक या प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि तम्बाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी दृश्य को न्यूनतम तीस सेकंड की अविध के लिए उक्त फिल्म के प्रारंभ, मध्य और अंत में प्रदर्शित हो। इस उप-नियम के उपबंध उप-नियम (6) के खंड (ग) को लागू नहीं होंगे।

(6ख)(क) पुराने टेलीवीजन कार्यक्रमों की दशा में, प्रसारणकर्ता के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह प्रत्येक तीस मिनट या उससे कम के टेलीवीजन कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान टेलीवीजन के पर्दे के नीचे मुख्य स्क्रॉल के रूप में तम्बाक प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी के स्थापन को सुनिश्चित करेगा या तो न्यूनतम तीस सेकंड की अविध के लिए तम्बाक प्रतिषेध स्वास्थ्य दृश्य के प्रसारण को सुनिश्चित करेगा।

- (ख) टेलीवीजन कार्यक्रम के तीस मिनट से अधिक होने की दशा में, अगले तीस सेकंड का प्रसारण समय प्रत्येक तीस मिनट की बढ़ोतरी पर तम्बाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य दृश्य के प्रसारण के लिए नियत किया जाएगा।
- (ग) प्रत्येक तम्बाक् प्रतिषेध दृश्य की न्यूनतम अवधि पंद्रह सेकंड से कम नहीं होगी।
- (घ) इस उप-नियम के उपबंध उप-नियम (६) के खंड (ग) और खंड (घ) को लागू नहीं होंगे। परंतु तम्बाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी स्क्रॉल सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों में होगी जो सुपाठ्य और पढ़ने योग्य हो। स्वास्थ्य चेतावनी के पाठ में तम्बाकू का उपयोग धूम्रपान के रूप में होने के लिए ''धूम्रपान से कैंसर होता है'' या ''धूम्रपान से मौत होती है'' और चबाने या अन्य रूप में तम्बाकू के उपयोग होने के लिए ''तम्बाकू से कैंसर होता है'' या ''तम्बाकू से मौत होती है'' या ऐसी अन्य चेतावनियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं होंगी:

परंतु यह और कि तम्बाकू प्रतिषेध चेतावनी या स्क्रॉल या स्वास्थ्य दृश्य, फिल्म या टेलीवीजन में टेलीवीजन कार्यक्रम में यथा प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में होगा। डब की गई या उपशीर्षक की फिल्म या टेलीवीजन कार्यक्रमों के मामलों में दृश्य या स्क्रॉल या डबिंग या उपशीर्ष की भाषा में होगी।

- (7) नई भारतीय या विदेशी फिल्मों और टेलीवीजन कार्यक्रमों में जिनमें किसी वास्तविक ऐतिहासिक हस्ती को धूम्रपान करते हुए या तम्बाकू का प्रयोग करते हुए निरूपित करने के लिए या किसी ऐतिहासिक युग का निरूपण करने के लिए या वर्गीकृत प्रचलित चरित्र को निरूपित करने के लिए तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को संप्रदर्शित करना आवश्यक है, पर उप-नियम (6) लागू नहीं होगा:
 - परंतु बहुत असाधारण दशा में, जहां पटकथा की बाध्यता के कारण तम्बाकू उत्पादों को प्रदर्शित करना या उपयोग करना आवश्यक है वहां वह किसी कठोर संपादन न्यायोचित्यता द्वारा समर्थित होंगे :
 - परंतु यह और कि ऐसी फिल्मों और टेलीवीजन कार्यक्रमों में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग का प्रदर्शन इस उप-नियम के अधीन निम्नलिखित रक्षोपायों के अधीन होगा :
- (क) फिल्म और टेलीवीजन कार्यक्रम जिनमें तम्बाकू से सामूहिक दृश्य चित्रित हैं उन्हें 'ए' प्रमाण-पत्र देना आज्ञापक होगा । ऐसी फिल्मों और टेलीवीजन कार्यक्रमों को ऐसे समय पर प्रसारण के लिए अनुज्ञात किया जा सकेंगा जब अठारह वर्ष से कम के व्यक्तियों की दर्शन संख्या कम से कम होने की संभावना हो ।
- ্ (ख) फिल्म या टेलीवीजन कार्यक्रम में जहां ऐसे दृश्य चित्रित किए जाते हैं संबद्ध कलाकार द्वारा ऐसे उत्पाद के प्रयोग के दुष्प्रभावों के संबंध में दावा त्याग किया जाएगा । ऐसा दावा त्याग फिल्म के प्रारंभ, मध्य और अंत में प्रदर्शित होगा ।
- (ग) जब कभी ऐसे दृश्य किसी फिल्म या टेलीवीजन कार्यक्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं तम्बाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी स्क्रॉल पर लगातार स्क्रीन पर दृश्य के प्रारंभ होने के एक मिनट पहले से और ऐसे दृश्य के पश्चात् एक मिनट तक प्रदर्शित होगी :
 - परंतु यह भी कि तम्बाकू उत्पादों के किसी ब्रांड या तम्बाकू उत्पाद स्थापनों के किसी प्ररूप को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा : परंतु यह और भी कि सिगरेट पैकेजों या तम्बाकू उत्पादों के निकट दृश्य अनुज्ञेय नहीं होंगे और ऐसे दृश्यों को निर्माता या वितरक या प्रसारणकर्ता ऐसे सिनेमा या थियेटर में दिखाने या टेलीवीजन पर प्रसारित करने से पहले संपादित करेंगे । स्पष्टीकरण (1) : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली सभी फिल्मों को ''नई फिल्मों'' की श्रेणी में रखा जाएगा । स्पष्टीकरण (2) : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व करेगा ।
- (8) क्रीड़ा, सांस्कृतिक और अन्य आयोजन या क्रियाकलाप जो अन्य देशों में हो रही हैं और भारत में टेलीवीजन पर प्रकाशित की जा रही है, के सीधे या विलंबित सींधे प्रसारण के मामलों के सिवाय जहां कहीं तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड, नाम, लोगो चित्र का कोई भाग किसी रूप में मुद्रित या बाह्य मीडिया या उसे इलैक्ट्रानिक मीडिया के किसी भी रूप में प्रकाशित किया जाता है तो मीडिया को यह सुनिश्चित करना आज्ञापक होगा कि वह उसे काट दे या ढक दे कि तम्बाकू ब्रांड के नाम और लोगो दिखाई न पड़े।
- (9) स्वास्थ्य और प्रसारण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्, भारतीय प्रेस परिषद्, संसद सदस्य और स्वैच्छिक संगठनों के अन्य प्रतिनिधि सिंहत संघ के स्वास्थ्य सिचव की अध्यक्षता के अधीन विषय निर्वाचक सिमिति का गठन किया जाएगा । यह सिमिति स्वप्रेरणा से संज्ञान लेगी या अधिनियम की धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट उल्लंघनों पर विचार करेगी और अप्रत्यक्ष विज्ञापन और संवर्धन से संबंधित मामलों का भी मूल्यांकन करेगी और उन पर आदेश पारित करेगी।';
- (ग) नियम 5 में निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - ''(3) उस स्थान का मालिक या प्रबंधक या कार्यकलापों का प्रभारी, जहां सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री होती है यह सुनिश्चित करेगा कि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री विक्रय मशीन के माध्यम से न की जाए।

(4) उस स्थान का मालिक या प्रबंधक या कार्यकलापों का प्रभारी जहाँ-जहां सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री होती है यह सुनिश्चित करेगा कि अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाक् उत्पाद का लेन-देन या विक्रय न हो ।"

फा. सं. पी-16012/1/2005-पीएच। भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 137, तारीख 25 फरवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 345(अ), तारीख 31 मई, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 698(अ), तारीख 30 नवंबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi the 20th October, 2006

G.S.R. 656(E).— In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004,—
 - (a) in rule 2 after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
 - '(a) "Indirect advertisement" means-
 - (i) the use of a name or brand of tobacco products for marketing, promoting or advertising other goods, services and events;
 - (ii) the marketing of tobacco products with the aid of a brand name or trademark which is known as, or in use as, a name or brand for other goods and services;
 - (iii) the use of particular colours and layout and or presentation that are associated with particular tobacco products; and
 - (iv) the use of tobacco products and smoking scenes when advertising other goods and services.';
 - (b) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—
 - 4. Prohibition of advertisement of cigarettes and other tobacco products. —(1) The size of the board used for the advertisement of cigarettes and any other tobacco products displayed at the entrance of a warehouse or a shop where cigarettes or any other tobacco products is offered for sale shall not exceed sixty centimeters by forty-five centimeters.
 - (2) Each such board shall contain in an Indian language as applicable, one of the following warnings occupying the top edge of the board in a prominent manner measuring twenty centimeters by fifteen centimeters, namely:
 - Tobacco causes cancer, or
 - (ii) Tobacco kiils.
 - (3) The health warning referred to in sub-rule (2) must be prominent, legible and in black colour with a white background.
 - (4) The display board shall only list the type of tobacco products available and no brand pack shot, brand name of the tobacco product or other promotional message and picture shall be displayed on the board. The display board shall not be backlit or illuminated in any manner.

- (5) The owner or manager or in-charge of the affairs of a place where cigarettes and other tobacco products are sold shall not display tobacco products in such a way that they are visible so as to prevent easy access of tobacco products to persons below the age of eighteen years.
- (6) No individual or a person or a character in films and television programmes shall display tobacco products or their use:

Provided that this sub-rule shall not apply to -

- (a) old Indian films and old television programmes, produced prior to coming into effect of this notification, being screened in a cinema hall or theatre or aired on television;
- (b) old foreign films and old television programmes, including dubbed and sub-titled "foreign films" and television programmes, being screened in cinema halls or theatres or aired on television;
- (c) Indian or foreign documentaries and health spots displaying use of tobacco products made to clearly and unambiguously reflect the dangers and dire consequences of tobacco use being screened in cinema hall or theatre or aired on television;
- (d) live coverage of news, current affairs, interviews, public meetings, sports events, cultural events and the like, being telecast on television whereby there is a purely incidental and completely unintentional coverage of use of tobacco products:

Provided further that the exemptions under clauses (a), (b), (c) and (d) above shall not extend to display of brands of tobacco products or tobacco product placement in any form:

Provided also that close ups of cigarette packages or tobacco products shall not be permissible and such scenes shall be edited by the producer or distributor or broadcaster prior to screening in cinemas or theatres or airing on television.

Explanation (1).—For the purpose of this sub-rule, all films that receive Central Board of Film certification prior to the effective date of this notification shall be categorized as "old films".

Explanation (2).—For the purpose of this sub-rule, "foreign film" implies "Imported" as defined in the Cinematograph (Certification) Rules, 1983.

- (6A) In case of old Indian and foreign films, the owner or manager of the cinema hall or theatre where the film is being screened shall ensure that anti-tobacco health spots of minimum thirty seconds duration each are screened at the beginning, middle and end of the said film. The provisions of this sub-rule shall not apply to clause (c) of sub-rule 6.
- (6B)(a) In case of old television programmes, it shall be mandatory for the broadcaster to ensure either placement of an anti-tobacco health warning as a prominent scroll at the bottom of the television screen during the period of such display or airing of anti-tobacco health spots for a period of minimum thirty seconds during the telecast of each television programme of thirty minute duration or less.
- (b) In case the television programme is more than thirty minutes further airtime of thirty seconds shall be allocated for each incremental thirty minutes, for telecasting anti-tobacco spots.
- (c) The minimum duration of each anti-tobacco spot shall be not less than fifteen seconds.
- (d) The provisions of this sub-rule shall not apply to clauses (c) and (d) of sub-rule 6:
 - Provided that, the anti-tobacco health warning scroll shall be legible and readable with font in black colour on white background with the warnings "Smoking causes cancer" or "Smoking kills" for smoking form of tobacco use and "Tobacco causes cancer" or "Tobacco kills" for chewing and other form of tobacco or such other warnings as may be specified by the Central Government from time to time:
 - Provided further that, the anti-tobacco health warning scrolls or health spots shall be in the same language(s) as used in the film or television programme. In case of dubbed or sub-titled films or television programmes, the scrolls or spots shall be carried in the language of dubbing or sub-titlement.
- (7) Sub-rule (6) shall not apply to new Indian or foreign films and television programmes displaying use of tobacco products necessary to represent the smoking or tobacco usage of a real historical figure or for representation of a historical era or classified well known character:
 - Provided that in very rare cases where there is display or use of tobacco products due to compulsions of the script, they shall be supported by a strong editorial justification:

- Provided further that the display of usage of tobacco products in such movies and television programmes under this sub-rule shall be subject to the following safeguards:
- (a) Film and television programs depicting tobacco related scenes shall mandatorily be given 'A' Certification. Such films and television programmes may be permitted to be telecast at such timings as are likely to have least viewership from persons below the age of eighteen years.
- (b) The films or television programs, which depict such scenes, would have a disclaimer by the concerned actor regarding the ill effects of use of such products. The disclaimer would be shown in the beginning, middle and end of the film
- (c) Whenever such scenes are shown in a film or television programme, an anti-tobacco health warning scroll will be continuously displayed on the screen starting a minute before the scene and would be continuously displayed until one minute after the scene:

Provided also that there shall not be any display of brands of tobacco products or tobacco product placement in any form:

Provided also that close-ups of cigarette packages or tobacco products shall not be permissible and such scenes shall be edited by the producer or distributor or broadcaster prior to screening in cinemas or theatres or airing on television.

Explanation (1)—For the purpose of this sub-rule, all films and television programmes that receive Central Board of Film certification after the effective date of this notification shall be categorized as 'new'

Explanation (2).—For the purpose of this sub-rule, representatives from Ministry of Health and Family Welfare shall also be represented in the Central Board of Film Certification.

- (8) Wherever brand names or logos of tobacco products form a part of the pictures to be printed in any form of print or outdoor media or footage to be aired through any form of electronic media, it shall be mandatory for the media to crop or mask the same to ensure that the brand names and logos of the tobacco products are not visible, except in case of live or deferred live telecast of sports, cultural and other events or activities held in other countries being aired on television in India.
- (9) A Steering Committee shall be constituted under the chairmanship of the Union Health Secretary with representation from among others, the Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Law and Justice, Advertising Standards Council of India, Press Council of India, Members of Parliament and voluntary organizations. This Committee shall take cognizance *suo motu* or look into specific violations under Section 5 of the Act and shall also evaluate cases related to indirect advertising and promotion and pass orders thereof;
- (c) in rule 5, the following sub-rules shall be inserted, namely:—
- "(3) The owner or the manager or the in-charge of the affairs of a place where cigarettes or other tobacco products are sold shall ensure that no tobacco product is sold through a vending machine.
- (4) The owner or the manager or the in-charge of the affairs of a place where cigarettes or other tobacco products are sold shall ensure that no tobacco product is handled or sold by a person below the age of eighteen years."

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 137, dated the 25th February, 2004, and were subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 345(E), dated the 31st May, 2005 and *vide* number G.S.R. 698(E), dated 30th November, 2005.